wholesale level in terms of the wholesale Price Index (WPI) and at the retail level by 3 consumer price indices (CPI) for (i) Industrial Workers (ii) Urban non-manual employees (iii) Agricultural Labourers. The Wholesale Price Index is based on 2371 questions (519 for primary articles 73 for fuels and 1775 for manufactured products). The price quotations represent bulk transanctions usually for further sale at the primary stage which broadly corresponds to the producers price. The index is calculated on weekly basis and the present series is based on 1980-92 = 100.

(b) and (c) Yes, Sir, In order to know the trend in price at retail level, the retail prices of 31 essential commodities alongwith their composite index is also prepared regularly by the Labour Bureau, Shimla and the present series is based on the 1982 = 100.

**उपभोक्ता को उत्पाद शुल्क रियायत का लाभ**

2296. **श्री दिग्विजय सिंह :**

**श्री सत्य प्रकाश मालवीय :**

क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बाजार में सभी कच्चो सामग्री उपलब्ध होने के बावजूद सभी प्रकार के साबुन महंगे हो गये हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि निर्यातकों ने उत्पाद शुल्क रियायत का लाभ उपभोक्ता को नहीं दिया है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या सरकार उत्पाद शुल्क रियायत का लाभ आम उपभोक्ता को दिलाना चाहती है, और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं और उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सरकार के अब तक क्या कार्रवाही की है ?

**नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद)** : (क) यह मंत्रालय साबुन के मूल्यों को मॉनिटर नहीं करता है, क्योंकि यह आवश्यक वस्तुओं की सूची में नहीं है। चूंकि साबुन बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली कच्ची सामग्री भी नियंत्रित वस्तुओं में नहीं आती है, अतः साबुन के मूल्य भी बाजार ताकतों से प्रभावित होते हैं

(ख) निर्यात किए जाने वाले उत्पादों पर उत्पाद-शुल्क नहीं लगता है।

(ग) 1993-94 के बजट में घोषित उत्पाद शुल्क रियायतों में साबुनों पर लगने वाले उत्पाद-शुल्क को युक्तियुक्त बनाया गया था। इस यौक्तिकरण का वास्तविक प्रभाव बहुत मामूली है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**माप तोल के नकली बाटों का प्रयोग**

2297. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :**

**श्री दिग्विजय सिंह :**

क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नकली बाटों का प्रयोग खुले आम हो रहा है और इस तरह उपभोक्ताओं का बड़े पैमाने पर शोषण किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार ने उपभोक्ताओं को ऐसे शोषण से बचाने के लिए कोई कानून बनाया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और सरकार ने नकली बाटों का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है और उसका क्या परिणाम निकला है ?

**नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद ) :**

(क) बाट तथा माप अधिनियम व नियमों को लागू करने की जिम्मेदारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है । अतः अपेक्षित सूचना एकत्र की जाएगी और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) और (ग) बाट तथा माप मानक, अधिनियम, 1976 तथा उसका तदनुरूपी प्रवर्तन कानून अर्थात् बाट तथा माप (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 संसद में क्रमशः 1976 तथा 1985 के दौरान अधिनियमित किए गए हैं। इन कानूनों के तहत जाली बाटों का निर्माण, बिक्री तथा प्रयोग करना एक अपराध है। इस संबंध में इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने पर उनसे निपटने के लिए उपयुक्त दण्डात्मक उपबंध मौजूद हैं। जाली बाटों का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही के बारे में ब्यौरा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त किया जा रहा है और एक संकलित विवरण सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

**भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा द्विभाषी प्रकाशन**

2298. श्री राम नरेश यादव : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रति वर्ष अंग्रजी में कितने मानक प्रकाशित किए जाते हैं;

(ख) अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में कितने मानक प्रकाशित किए जाते हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन मानकों के हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में प्रकाशन की कोई योजना शुरू की है अथवा भविष्य में शुरू किए जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इन्हें कब तक प्रकाशित कर दिए जाने की संभावना है ?

**नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री कमालुद्दीन अहमद) :** (क) लगभग 800

(ख) अब तक हिन्दी व अंग्रजी दोनों में 207 भारतीय मानक प्रकाशित किए गए है । वर्ष के दौरान 11 द्विभाषिक मानक मुद्रित करवाए गए हैं और दिसम्बर, 1993 के दौरान 7 मानकों को हिन्दी में मुद्रित करवाया जाएगा ।

(ग) और (घ) सभी मानकों को द्विभाषिक रूप में साथ-साथ प्रकाशित करवाने की कोई योजना नहीं हैं । तथापि, उपभोक्ता हित के मानकों को चयनात्मक आधार पर द्विभाषी रूप में प्रकाशित करवाया जाता है । मानकों के हिन्दी अनुवाद को चरणबद्ध तरीकों से प्रकाशित करवाने के लिए उपाय किए जा रहे हैं ।

**EXCISE DUTY RELIEF TO CONSUMERS**

2299. SHRI PRAMOD MAHAJAN :

Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state :

(a) what are the names of industries which have passed on the entire excise duty relief to the consumers ;

(b) what are the names of industries which have partially passed on the relief;

(c) what are the names of industries which have not yet passed on the concessions to the consumers ;

(d) whether the Minister of Civil Supplies have brought the position to the notice of the Ministry of Finance in respect of industries which have not yet passed on the excise duty concessions to the consumers ; and